सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011 (म. प्र.)

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, 97, फैक्स : (0755) 2552363, 2552364

क्र./राशिके/एसजीयू/2011/10157 भोपाल, दिनांक 14-11-11

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिला–झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन म.प्र.

विषय– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल–1 संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण सूचना का प्रकाशन।

संदर्भ– राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समाचार पत्रों में जारी विज्ञप्ति ।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तहत आवासीय विद्यालय के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल–1 हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी संस्थाओं से समाचार पत्र में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। प्रसारित विज्ञप्ति संलग्न है।

अशासकीय संस्थाओं द्वारा 30 नवम्बर 2011 तक जिलों को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रस्ताव पास होने के बाद निम्नानुसार कार्रवाई करें–

1. विज्ञापन में दी गई संस्थओं की पात्रता एवं अर्हताओं के अनुसार प्रस्तावों का परीक्षण करें।
2. परीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्तावों को जिले की सर्वशिक्षा अभियान की अनुदान समिति जो कि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित है के समक्ष प्रस्तुत करें।
3. अनुदान समिति की अनुशंसा एवं प्रत्येक प्रस्ताव की उपयुक्तता अथवा अस्वीकृति के आधार सहित राज्य शिक्षा केन्द्र को 5 दिसम्बर 2011 तक अनिवार्यतः भिजवायें।

संलग्न–समय–सारणी एवं प्रस्ताव विवरण।

14/11/11

अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल, दिनांक 14-11-11

पृ.क्र./राशिके/एसजीयू/2011/10158

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर, जिला–झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

14/11/11

अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी–विंग अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

विज्ञप्ति

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव आमंत्रण

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय मॉडल–1 के संचालन हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

ये कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय निम्न 12 विकासखंडों में संचालित हैं।

अ.क.	जिले का नाम	विकास खण्डों के नाम
1	झाबुआ	राणापुर
2	अलीराजपुर	भाभरा, उदयगढ़, अलीराजपुर, कटिठवाडा, सोंड़वा
3	बड़वानी	बड़वानी, सेंधवा,राजपुर, पाटी
4	खरगोन	झिरन्या एवं भीकनगांव

प्रथम लिफाफा

1- बालिका शिक्षा अथवा बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं संचालित करने अथवा उनके साथ कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। अनुभव संबंधी प्रमाणपत्र लगाए जावें।

2- संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। जीवित पंजीकरण की प्रतिलिपि लगावें।

3- संस्था का वित्तीय लेखा–जोखा गत तीन वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ प्रतिवर्ष से कम नही होना चाहिए। इस हेतु गत तीन वर्षों की बैलेंस शीट लगाई जावे।

4- निविदाकर्ता के पास वैध पेन नं. होना चाहिए। पेन कार्ड की प्रतिलिपि लगाएं।

5- निविदाकर्ता / संस्था एवं संस्था के किसी भी सदस्य को शासन द्वारा पूर्व में वर्ज्य सूची (ब्लैक लिस्टेट) या किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले में लिप्त नहीं पाये जाने का बचन पत्र संलग्न किया जावे।

6- संस्था द्वारा अब तक किए गए कार्यों का विवरण।

7- गत 3 वर्षों में शासन से यदि कोई अनुदान प्राप्त हुआ हो तो उसका विवरण।

8- संस्था के पास उपलब्ध सुविधाएं एवं संसाधन

9- प्रस्ताव जिसमें उक्त व्यवस्थाओं के संचालन हेतु संस्था द्वारा की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं का विवरण,

10-संस्था विद्यालय, छात्रावास संचालन हेतु आर्थिक दृष्टि से किस सीमा तक सहभागिता कर सकती है।

छात्रावास संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र स्वयंसेवी संस्थाएं दिनांक 30/11/2011 तक समस्त अभिलेखों के साथ अपने आवेदन पत्र उपरोक्त संबंधित जिले के जिला शिक्षा केन्द्र में जिला परियोजना समन्वयक(डी.पी.सी.) सर्वशिक्षा अभियान को प्रस्तुत कर सकेंगे। संस्था अपने आवेदन के लिफाफे पर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मॉडल–1 छात्रावास संचालन हेतु प्रस्ताव बड़े अक्षरों में लिखें।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

नियम निर्देश

विस्तृत जानकारी के लिए भारत शासन की गाइडलाइन, छात्रावास के संचालन के निर्देश एवं निर्धारित स्थानों की जानकारी बेवसाइडwww.Educationportal.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

नियम निर्देश

विस्तृत जानकारी के लिए भारत शासन की गाइडलाइन, छात्रावास के संचालन के निर्देश एवं निर्धारित स्थानों की जानकारी बेवसाइडwww.Educationportal.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रस्तावों पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अनुदान समिति की अनुशंसा प्राप्त की जावेगी। तदुपरांत अनुशंसित प्रस्तावों का पेनल राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजा जावेगा जिस पर माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा। तदुपरांत संबंधित संस्था तथा जिला शिक्षा केन्द्र के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया जाएगा। जिसके अनुसार ही संबंधित संस्था को कार्य करना होगा एवं MOU अनुसार संस्था द्वारा कार्य करने पर संस्था को भुगतान किया जाएगा। संस्था चयन के संबंध में किसी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

समय सारणी

1	जिला स्तर पर प्रस्तावों का परीक्षण करना	30 नवम्बर 2011
2	जिला अनुदान समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करना	25 नवम्बर 2011
3	जिला अनुदान समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित प्रस्ताव राज्य शिक्षा केन्द्र को अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करना	5 दिसम्बर 2011
4	राज्य स्तर पर प्रस्तावों का परीक्षण एवं अनुमोदन करना	15 दिसम्बर2011
5	जिले पर चयनित संस्था से अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण करना	30 दिसम्बर 2011
6	संस्था द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन प्रारंभ करना।	26 जनवरी 2012